मु0न0:— 12 / 2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांक:— 24.07.2024

मु0न0 12 / 2024

पीठासीन अधिकारी:— सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

हरहंस पुत्र हुकमी जाति गूर्जर निवासी कुढावल तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
2. तहसीलदार बालघाट जिला गंगापुर सिटी।

प्रतिवादी

दावा बावत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति:— श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय   दिनांक:— 30.08.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कुढावल की आरजी ख0न0 177 / 0.31, 179 / 0.24, 208 / 0.21, 209 / 0.21, 211 / 612 / 0.18, 290 / 619 / 0.18, 291 / 0.31, 440 / 0.40, 440 / 646 / 0.12, 441 / 0.40 कुल किता 10 कुल रकवा 2.56 है0 ग्राम कुढावल तहसील टोडाभीम मे है। वर्णित आराजीयात साबिक ख0न0 70, 71, 88 / 2, 55 / 3, 109, 167 / 2, 179 / 2, 168 / 1, 160 / 2 से बनाकर अंकित किये है। जो जमाबन्दी सम्वत 2022—2026 से भली भाति साबित है।

यह है कि वादी का सही नाम हरहंस है लेकिन गाव मे बोलता नाम बत्तू था लेकिन हुकमा की विरासत खोलते समय वादी का नाम बत्तू अंकित कर दिया जबकि वादी का सही नाम हरहंस है जो उसकी सर्विस रिकार्ड शेक्षणिक रिकार्ड मेडिकल डायरी आधार कार्ड, पैनकार्ड,मे हसहंस पुत्र हुकमी सिंह है। विरासत की जमाबन्दी बनाते समय वादी के नाम हरहंस के स्थान पर बत्तू अंकित कर दिया है जो गलत है। जिसे वादी को बत्तू के स्थान पर सही नाम हरहंस कराने का हकदार है। वादी के पिता हुकमी के दो पुत्र हसहंस व बद्री है जो हुकमसिंह के वारिस है।

बाका दिनांक 10.7.2024 को तहसीलदार टोडाभीम से तहसील कार्यालय मे दस्तावेज लेकर मिला तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे नाम दुरूस्त कराने को कहा तो उन्होने साफ इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय मे नाम दुरूस्त करने का आदेश लाने को कहा इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम कुढावल की आराजी ख0न0 177 / 0.31, 179 / 0.24, 208 / 0.21, 209 / 0.21, 211 / 612 / 0.18, 290 / 619 / 0.18, 291 / 0.31, 440 / 0.40, 440 / 646 / 0.12, 441 / 0.40 कुल किता 10 कुल

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

रकवा 2.56 है0 मे वादी का नाम बत्तू पुत्र हुकमा हजफ फरमाकर हसहंस पुत्र हुकमी सिंह गूर्जर दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात खसरा किता 10 कुल रकवा 2.56 है0 मे बत्तू पुत्र हुकमा हिस्सा पूर्ण जाति गूर्जर के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजी की खातेदारी सेटलमेन्ट से पूर्व से ही बत्तू पुत्र हुकमा हिस्सा पूर्ण जाति गूर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसको वादीगण हरहंस पुत्र हुकमी सही करना चाहता है। हरहंस पुत्र हुकमी का गाव मे बोलता नाम बत्तू है, हरहंस सिंह को गाव मे बत्तू नाम से भी बुलाते है। गांव मे बत्तू व हरहंस एक ही व्यक्ति है व इस नाम का गाव मे कोई अन्य व्यक्ति नही है। वादी के दस्तावेजात मे हरहंस सिंह पुत्र हुकमी जाति गूर्जर ही दर्ज है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 10 कुल रकवा 2.56 है0 ग्राम कुढावल तहसील टोडाभीम मे है। वर्णित आराजीयात साबिक ख0न0 70, 71, 88/2, 55/3, 109, 167/2, 179/2, 168/1, 160/2 से बनाकर अंकित किये है। जो जमाबन्दी सम्वत 2022–2026 से भली भाति साबित है, वादी का सही नाम हरहंस है लेकिन गाव मे बोलता नाम बत्तू था लेकिन हुकमा की विरासत खोलते समय वादी का नाम बत्तू अंकित कर दिया जबकि वादी का सही नाम हरहंस है जो उसकी सर्विस रिकार्ड शेक्षणिक रिकार्ड मेडिकल डायरी आधार कार्ड, पैनकार्ड,मे हसहंस पुत्र हुकमी सिंह है। विरासत की जमाबन्दी बनाते समय वादी के नाम हरहंस के स्थान पर बत्तू अंकित कर दिया है जो गलत है। जिसे वादी को बत्तू के स्थान पर सही नाम हरहंस कराने का हकदार है। वादी के पिता हुकमी के दो पुत्र हसहंस व बद्री है जो हुकमसिंह के वारिस है। अत वाद पत्र स्वीकार कर वर्णित आराजीयात कुल किता 10 कुल रकवा 2.56 है0 मे वादी का नाम बत्तू पुत्र हुकमा हजफ फरमाकर हसहंस पुत्र हुकमी सिंह गूर्जर दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाब/रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे खसरा किता 10 कुल रकवा 2.56 है0 मे बत्तू पुत्र हुकमा हिस्सा पूर्ण जाति गूर्जर के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजी की खातेदारी सेटलमेन्ट से पूर्व से ही बत्तू पुत्र हुकमा हिस्सा पूर्ण जाति गूर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसको वादीगण हरहंस पुत्र हुकमी सही करना चाहता है। हरहंस पुत्र हुकमी का गाव मे बोलता नाम बत्तू है, हरहंस सिंह को गाव मे बत्तू नाम से भी बुलाते है। गांव मे बत्तू व हरहंस एक ही व्यक्ति है व इस नाम का गाव मे कोई अन्य व्यक्ति नही है। वादी के दस्तावेजात मे हरहंस सिंह पुत्र हुकमी जाति गूर्जर ही दर्ज है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम कुढावल की आराजी ख0न0 177/0.31, 179/0.24, 208/0.21, 209/0.21, 211/612/0.18, 290/619/0.18, 291/0.31, 440/0.40, 440/646/0.12, 441/0.40 कुल किता 10 कुल रकवा 2.56 है0 मे बत्तू पुत्र हुकमा हिस्सा पूर्ण जाति गूर्जर सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जो जमाबन्दी आधार वर्ष 2022–26 मे साबिक ख0न0 70, 71, 88/2, 55/3, 109, 167/2, 179/2, 168/1, 160/2 मे बत्तू पुत्र हुकमा जाति गूर्जर निवासी खातेदार राहिन स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर मुर्तहिन बिला कब्जा दर्ज रिकार्ड है। वादी का आधार कार्ड न0 6422 2338 6235, आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड

(सुनीता मीना)

तारीखरज:– 24/8/24

न0:– 12/2024

उनवान:– हरहंस बनाम तहसीलदार

न0 क्यू.टी.वी.पी.एस 0180 आर, उपकोषाधिकारी हिण्डौन द्वारा जारी मेडिकल डायरी न0 0212593, मे हसहंस सिंह पुत्र हुकमी सिंह का अंकन है। इसी अनुरूप तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत जबाब व रिपोर्ट मे वादी का नाम शुद्व करने की अभिशंषा की है। अतः वादी का दावा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है, कि ग्राम कुढावल की आराजी ख0न0 177/0.31, 179/0.24, 208/0.21, 209/0.21, 211/612/0.18, 290/619/0.18, 291/0.31, 440/0.40, 440/646/0.12, 441/0.40 कुल किता 10 कुल रकवा 2.56 है0 मे खातेदार बत्तू पुत्र हुकमा जाति गूर्जर के स्थान पर हरहंस सिंह पुत्र हुकमी सिंह जाति गूर्जर दर्ज किया जावे, निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी